

निर्वाचन व्यर्थों का सार विवरण

भाग-I

I	अभ्यर्थी का नाम	राधेश्याम	श्री/श्रीमती/कुमारी
II	निर्वाचन क्षेत्र की संख्या एवं नाम	328 चित्तौड़पुर	
III	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	उत्तर प्रदेश	
IV	निर्वाचन का स्वरूप (राज्य विधान सभा/लोक सभा के साधारण निर्वाचन/उप-निर्वाचन का उल्लेख करें)	सामान्य निर्वाचन/विधान सभा	2017
V	परिणाम घोषणा की तारीख		11-3-17
VI	निर्वाचन अधिकर्ता का नाम एवं पता		11-3-17 मुंबई
VII	यदि अभ्यर्थी राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया गया है, तो कृपया उस राजनैतिक दल के नाम का उल्लेख करें		जन शक्ति पार्टी
VIII	क्या राजनैतिक दल एक मान्यता प्राप्त दल है?		हां/नहीं

क्र. : 0604-2017

स्थान : जोरखपुर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

राधेश्याम  
नाम श्री+श्र शरवाज खेर  
पि. जोरखपुर

भाग-II अम्यर्थी के निर्वाचन व्यय का सार विवरण

क्र० सं०	विवरण	अम्यर्थी/उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उपगत/प्राधिकृत व्यय (रुपये में)	राजनैतिक दल द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (रुपये में)	अन्यों द्वारा उपगत/प्राधिकृत राशि (रुपये में)	कुल निर्वाचन व्यय (स्तम्भ 3, 4 एवं 5 का जोड़)
1	2	3	4	5	6
I	जन समाएं, रैली, जुलूस इत्यादि पर व्यय				
✓	<p>1क : जन समा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात : राजनैतिक दल के स्टार प्रचारक सहित होने वाले आयोजनों को छोड़कर) (अनुबंध 1 के अनुसार संलग्न करें)</p>	18801	-	-	18801
✓	<p>1ख : स्टार प्रचारक (को) के साथ जन समा, रैली जुलूस इत्यादि पर व्यय (अर्थात : साधारण पार्टी प्रचार वाले आयोजनों को छोड़कर) (अनुबंध 2 के अनुसार संलग्न करें)</p>				

इत्यादि में प्रयुक्त प्रचार सामग्री को छोड़कर अन्य प्रचार सामग्री (अनुबंध 3 के अनुसार संलग्न करें)				
III केबल नेटवर्क, बल्क एस.एम.एस. या इंटरनेट और सोशल मीडिया सहित प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार (अनुसूची 4 के अनुसार संलग्न करें)			-	
IV अथर्था द्वारा प्रयुक्त प्रचार वाहन (नों) पर व्यय (अनुसूची 5 के अनुसार संलग्न करें)	140501		-	140501
V प्रचार कार्यकर्ताओं / अभिकर्ताओं का व्यय (अनुसूची 6 के अनुसार संलग्न करें)	10508		-	10508
VI अन्य कोई प्रचार व्यय <u>माध्यम मित्रता</u>	1000-		-	1000-
कुल योग	170900 =		-	170900 =

(85)

राजेश्वर

राजेश्वर

भाग-III अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों के स्रोत का सार

क्र.सं.	विवरण	राशि (रूपये में)
1	2	3
I	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची 7 के अनुसार संलग्न करें)	170900
II	पार्टी (टिप्पणियों) से नकदी या चेक इत्यादि में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 8 के अनुसार संलग्न करें)	—
III	किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदा इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 9 के अनुसार संलग्न करें)	—
	कुल	170900=

श. चैशाम

भाग-III अभ्यर्थी द्वारा खर्च की गई निधियों के स्रोत का सार

क्र.सं.	विवरण	राशि (रुपये में)
1	2	3
I	निर्वाचन प्रचार के लिए प्रयुक्त निजी निधि की राशि (अनुसूची 7 के अनुसार संलग्न करें)	170900
II	पार्टी (टिप्पणियों) से नकदी या चेक इत्यादि में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 8 के अनुसार संलग्न करें)	—
III	किसी व्यक्ति/कंपनी/फर्म/संघों/वैयक्तिक निकायों इत्यादि से ऋण, उपहार या चंदे इत्यादि के रूप में प्राप्त एकमुश्त राशि (अनुसूची 9 के अनुसार संलग्न करें)	—
	कुल	170900=

राक्षेपात्र

# भारतीय गैर न्यायिक



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सम्बन्ध-पत्र

11AD 805066

जिला निवापिन अधिकारी के सम्मक्षी जिला,

राज्य/ संघ राज्य क्षेत्रों श्री/ श्रीमति/ कुमारी शशि श्याम  
 सपुत्र/ पत्नी/ पुत्री श्री स्व. जयहिन्द मातृ-पद वर्ग निवासी-अने

के द्वारा केला गया है। एतद्वारा ईमानदारी एवं सत्यनिष्ठापूर्वक निम्न प्रकार से घोषणा करता हूँ:-

§ 1- यह कि मे 328, चित्तमूर सड़क-अ की लोक सभा/ विधानसभा के लिए  
 साधारण निवापिन/ उप निवापिन मे 328 चित्तमूर सड़क-अ संसदीय/ विधान  
 सभा क्षेत्र मे निवापिन लहने वाला अभ्यर्थी था, जिसका परिणाम 11/03/2017  
 को घोषित किया गया था।

§ 2- यह कि उपर्युक्त निवापिन के सम्बन्धमे दिनांक 14/02/2017 को  
 तारीख जब मुझे नागरिकता किया गया था। एवं उसके परिणाम की घोषणा की  
 तारीख दोनों दिन को सम्मिलित करते हुये के बीच मेरे/ मेरे निवापिन अधिकारी  
 ने मेरे एवं मेरे निवापिन अधिकारी द्वारा उपर्युक्त/ प्राधिकृत सभी व्यक्तियों का पृथ  
 एवं सही लेखा लिया है।

*Anita K. Tripathi*  
**NOTARY**  
 G. S. ...

§ यह कि उक्त लेखा लिटीनिंग अधिकारी द्वारा उपर्युक्त के लिए दिनांक को  
 रजिस्टर मे अनुरक्षित किया गया था, एवं उक्त रजिस्टर इस लेखा मे  
 उल्लेखित बापघर/ बिल के साथ संलग्न है।

§-2-पर शशि श्याम



१४-१ यह कि निर्वाचन के सम्बन्ध में इसमें संलग्न मेरे निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत मेरे निर्वाचन अधिकारता, मुझे प्राथोक्ति करने वाले राजनैतिक दल, अन्य संगठन / मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकारों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राथोक्ति निर्वाचन व्यवस्था की सभी में इसमें शामिल है। एवं उनमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के अन्तर्गत स्पष्टीकरण 1 एवं 2 द्वारा इसमें अन्तर्गत नेताओं की यात्रा के सम्बन्ध में कौन सी व्यवस्था को छोड़कर कुछ भी छिपाया अथवा रोका / दबाया नहीं गया है।



१५-१ यह कि निर्वाचन के सम्बन्ध में उक्त लेखों के संलग्नक 11 में संलग्न निर्वाचन व्यवस्था के अंतर्गत मेरे / मेरे निर्वाचन अधिकारता मुझे प्राथोक्ति करने वाले राजनैतिक दल / अन्य संगठन / मुझे समर्थन देने वाले व्यक्तियों के निकारों एवं अन्य व्यक्तियों द्वारा उपगत अथवा प्राथोक्ति व्यवस्था भी शामिल है।

१६-१ यह कि पूर्व पैरा ११ में १५ तक में दिये गये कथन मेरी सर्वाधिक जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है और इनमें कुछ भी झूठ नहीं है। एवं किसी भी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया नहीं गया है।

अभिभाषी-

मेरे सम्मुख 2017 के इस 06 अप्रैल दिन के राधेश्याम द्वारा सत्यनिष्ठा में प्रतिज्ञान / शपथ ली गयी।

साक्षर/अज्ञ साक्षर, अर्थात् प्रथम श्रेणी बी.एल.एस. अथवा अन्य प्राथोक्ति / या निर्वाचन प्रक्रिया के हस्ताक्षर तथा मुहर।

Anil Kumar Tripathi  
NOTARY PUBLIC  
Lucknow

राधेश्याम